न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

उपस्थितः अरविन्द कुमार मिश्रा–II, एच.जे.एस.

सत्र परीक्षण सं0 – **970 सन 2025**

उ0प्र0 राज्य **बनाम** मोतीलाल वगैरह

मु0अ0सं0–**249** सन्–**2020**
धारा–323, 504, 506, 308 भा0दं0संहिता
थाना–कोतवाली देहात, जिला–मीरजापुर।

<u>आरोप</u>

मैं, अरविन्द कुमार मिश्रा–II, सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर आप अभियुक्तगण **राजेन्द्र, नीरज** व **चन्द्रावती** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ –

1. यह कि दिनांक 08.09.2020 को समय करीब 04:00 शाम बजे बहदस्थान लोहदीकलां, क्षेत्रान्तर्गत थाना कोतवाली देहात, जिला मीरजापुर में आप लोगों ने एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा गुलाब, उसकी पत्नी माधुरी देवी तथा पुत्री सुमन व गुंजा को लाठी–डण्डे से मारकर साधारण स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा–323 सपठित धारा–34 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा गुलाब को गाली–गुप्ता देकर अपमानित किया, जिससे ऐसे अपमानित व्यक्ति के प्रकोपित होने पर लोकशान्ति भंग होने की सम्भावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा–504 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा गुलाब व उसके परिवारीजनों को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा–506 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
4. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों के द्वारा एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा की पत्नी माधुरी देवी को लाठी–डण्डे से मारा–पीटा गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आयी। यदि इन चोटों से माधुरी देवी की मृत्यु हो जाती तो आप लोग हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा–308 सपठित धारा–34 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 09.12.2025

(अरविन्द कुमार मिश्रा–II)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No.: UP6030

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

दिनांक 09.12.2025

(अरविन्द कुमार मिश्रा–II)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No.: UP6030

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

सत्र परीक्षण सं0 **— 970 सन 2025**

उ0प्र0 राज्य **बनाम** मोतीलाल वगैरह

मु0अ0सं0—**249** सन्—**2020**
धारा—323, 504, 506, 308 भा0दं0संहिता
थाना—कोतवाली देहात, जिला—मीरजापुर।

09.12.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण राजेन्द्र, नीरज व चन्द्रावती व्यक्तिगत रुप से मय अधिवक्ता समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य के आधार पर अभियुक्तगण राजेन्द्र, नीरज व चन्द्रावती के विरूद्ध धारा—323/34, 504, 506, 308/34 भा0दं0संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्तगण राजेन्द्र, नीरज व चन्द्रावती के विरूद्ध धारा 323/34, 504, 506, 308/34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 08.01.2026 को पेश हो। नियत तिथि के लिए साक्षीगण जरिए समन तलब हों।

सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।